सं0-37/2022/001-1111-23-12-2022-849-2018

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाहय सहायतित परियोजना अन्तर्गत चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-729/सीई/-एचक्यू1/डब्लूबी/2022-23, दिनांक 28.07.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विश्व बैंक सहायतित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 03 चालू कार्यों पर रू0 1005.00 लाख (रूपये दस करोड़ पॉच लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश /दिनांक	स्वीकृत/ प्राविधिक लागत लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 कानपुर	हमीरपुर-राठ-गुरसरराय-झांसी मार्ग (राज मार्ग-42) के प्रथम पैकेज चैनेज 2.065 से 74.850 किमी0 तक के भाग का उच्चीकरण कार्य।	854/23-12-15-1578/14 (आर), दिनांक 13.07.2015 पुनरीक्षित स्वीकृति 1267/23-12-18-808/18, दिनांक 23.07.2018	34946.620	31172.030	**90.00**
2	विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0, कानपुर	हमीरपुर-राठ-गुरसरराय-झांसी मार्ग (राज मार्ग-42) के तृतीय पैकेज चैनेज 118.600 से 167.745 किमी0 तक के भाग का उच्चीकरण कार्य।	846/23-12-15-4(सा0)/ 12टीसी, दिनांक 13.07.2015	23349.710	22948.310	**45.00**
3	विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 मुरादाबाद	बदायूँ बिल्सी बिजनौर मार्ग (राजमार्ग सं0-51) के चैनेज 58.400 किमी0 से 137.820 किमी0 तक के भाग का उच्चीकरण कार्य।	854/23-12-15-1878/14 (आर), दिनांक 13.07.2015 पुनरीक्षित स्वीकृत 400/23-12-18-1878(आर)/14, दिनांक 28.06.2018	41991.760	39813.74	**870.00**
			योग	**100288.1**	**93934.08**	**1005.00**

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालनसुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं विश्व बैंक के प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आहरण में द्विरावृत्ति न हो।

(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(7) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णतः प्रमाण पत्र शासन एवं विश्व बैंक को प्रेषित किया जाय।

(9) उपरोक्त उल्लिखित कार्यों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) विभाग द्वारा विश्व बैंक की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रकरण में अन्य प्रर्वतीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,05,00,000 (रुपये दस करोड़ पांच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054053379705 विश्व बैंक सहायतित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजनाओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव

<u>संख्या-37/2022/001-1111-23-12-2022-849-2018 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- महोलखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- मुख्य अभियन्ता(मु0-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 ।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- लोक निर्माण अनु0-10
14- डाटा सेल, नवीन भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।